

20/05/17

1822

SSO विभागीय दस्तावेज़

संख्या-१०८०/ ११(२)/ १७-५१(एम०एल०ए०) / २०१७

प्रेषक

एस०एस० टोलिया,  
संयुक्त सचिव  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

प्रमुख अभियन्ता,  
लोक निर्माण विभाग,  
दहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-२

दहरादून दिनांक १९ नई 2017

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र-द्वाराहाट के विकासखण्ड द्वाराहाट के अन्तर्गत ग्राम सभा ईडा में अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र जमीनीपार से सेल्टा बाखली चौधार तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय

उपर्युक्त विषयके मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता क्षेत्र-लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा द्वारा विषयगत कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये प्रथम चरण के आगणन जिसकी कुल लम्बाई 3.50 किमी० तथा लागत ₹ 53.57 लाख है, पर विभागीय टी०ए०सी० द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 53.57 लाख (₹० तिरेपन लाख सत्तावन हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु ₹ 0.10 लाख (₹ दस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जान की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहष ग्यीकृति प्रदान करते हैं:-

(i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं०-१७६४ / ११(२) / १०-१७(सामान्य) / २००८ दिनांक १७ जून, २०१० की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)- आगणन में उल्लिखित दरों का दिश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमादित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हों की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नाम है, स्वीकृत नाम से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जाएगा।

(iv)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं जाक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टतों के अनुरूप ही कार्यों का सम्पादित करते समय गालन करना सुनिश्चित करें।

(v)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद से किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोद्योगिकी रूल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कागड़ से अनुपालन किया जायगा। इसके अतिरिक्त हजार मैत्रुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायगा।

(vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०-२०४७ / XIV-२१९(२००६) दिनांक ३०-०५-२००६ द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य करते समय या आगणन गठित करते समय कजाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii)- उक्तानुसार स्वीकृत आगणन में एन०पी०वी० भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिपिटग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं०-२२ लखाशीर्फ-५०५४ सङ्को तथा सेतुओं पर पूजीगत

-24 वृहत् नेटवर्क कार्ड मे विभागीय आश-व्यक्ति से श्रविधानित तथा निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

(ix)- स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की मुण्डता एवं नमंग्रहदता का सम्पूर्ण उपरिक्षय सर्वधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x)- वर्तमान मे व्यय डेतु अवमुक्त की जो रहे धनराशि का व्यय 31-03-2016 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्यों के सापेक्ष चाल वित्तीय वर्ष मे अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद मे निवर्तन मे रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों मे से कोई कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सङ्करण सङ्करण योजनान्तर्गत रवीकृत रखत निरस्त समझी जायेगी।

(2) इस संबंध मे हानि काला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 मे लोक निर्माण विभाग के अनुदान स0-22-लखाशीर्षक-5054 सङ्कों तथा सहुओ पर पूर्जीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सङ्करण-337-सङ्करण निर्माण कार्य-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत् निर्माण कार्य क नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-83(A)/XXVII(2)/2017 दिनाक 18 मई, 2017 मे प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

संख्या- २०७५  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायर्वाही हेतु प्रेषित :-  
1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग माजरा देहरादून।  
2. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।  
3. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, अल्मोड़ा।  
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।  
5. निवेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड देहरादून।  
6. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।  
7. अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा।  
8. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत।

( एस०एस० टोलिया )  
संयुक्त सचिव

आङ्गा से

( एस०एस० पांगती )  
उप सचिव

पर्याय २५२ | २० अक्टूबर २०१७ | २०१७ दिनांक २०-५-२०१७

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ रूपं आपृष्ठक  
कार्यालय हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय लोक निर्माण अल्मोड़ा।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लोक निर्माण अल्मोड़ा।
3. अधिकारी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण शनीग्रीत।
4. अनिष्ट अभियन्ता (प्राप्त) कार्यालय प्रबुद्ध अभियन्ता लोक निर्माण।
5. वित्त वर्ग, कार्यालय प्रबुद्ध अभियन्ता, लोक निर्माण अधिकारी अभियन्ता लोक निर्माण।

प्रतिलिपि द्वारा दिनांक २०-५-२०१७